

सेवा मे

डा. अखिलेश वर्मा  
सी-3/(300-301), यमुना विहार  
दिल्ली-110053

विषय: केंद्रीय सेवा (चिकित्सा लाभ) नियम 1944 के अधीन नियमो एवं आदेशो के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों हेतु अधिकृत चिकित्सक रूप में नियुक्ति एवं नामांकन स्वीकार करने के संबंध में।

महोदय,

यह उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक 09.04.2021 के पत्र के संदर्भ में है, यह सूचित किया जाता है कि केंद्रीय सेवा (चिकित्सा लाभ) नियम 1944 के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी आदेशों के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपको आगामी आदेशों तक निम्नलिखित नियम और शर्तों पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों हेतु एक अधिकृत चिकित्सक के रूप में नियुक्ति किया जाता है:

1. कि आप केंद्रीय सेवा (चिकित्सा लाभ) नियम 1944 के अंतर्गत निर्धारित दरों पर परामर्श एवं इंजेक्शन शुल्क लेंगे।
2. कि आपके द्वारा केंद्रीय सेवा (चिकित्सा लाभ) नियम 1944 के अंतर्गत नियमो और समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों का सख्ती के अनुपालन किया जाना अपेक्षित होगा
3. कि आपकी नियुक्ति किसी भी समय बिना कारण बताए अथवा पूर्व सूचना दिये बिना समाप्त कर दी जाएगी।
4. राज्य सरकार/केंद्र सरकार/सीजीएचएस/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा ए.एम.ए. की उक्त नियुक्ति आपके पंजीकरण की वैधता रजिस्ट्रेशन नं. 52036 (बी.ए.एम.एस. (बी.एच.आई) का विषय है।

आपसे अनुरोध है कि जब भी आवश्यकता हो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को अपनी सेवाएं प्रदान करें।

धन्यवाद

भवदीय



(रेखा नारंग)

प्रशासनिक अधिकारी (सम एवं चिकित्सा)

प्रतिलिपि:

1. श्री रामेश्वर, अनुभाग अधिकारी : आप के पत्र दिनांक 09.04.2021 के संदर्भ में
2. प्रभारी वित्त एवं लेखा : सूचनार्थ हेतु
3. प्रभारी आइ टी प्रभाग : के प्र नि बोर्ड के वेवसाइट पर अपलोड करने के हेतु